

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

कदमा 212 पत्रावली विपक्षी नारायण पत्रावली संख्या 98 सन् १२

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>09/10/23 वकुलाय बादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली/तलवी</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अंतिम</u> भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>08/02/24</u> को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p>	
<p>08/02/24 वकुलाय बादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली/तलवी</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अतः अंतिम</u> भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>02/05/24</u> को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p>	
<p>02/05/24 वकुलाय बादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली/तलवी</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अतः अंतिम</u> भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>26/11/24</u> को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p>	
<p>20/11/24 पत्रावली पेश <u>वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/</u> प्रतिवादी/विपक्षी/रेरयो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में प्रचरें हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना के अंक <u>5/13/24</u> को पेश हो।</p>	
<p>5/9/24 वकुलाय बादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली/तलवी</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अतः अंतिम</u> भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>19/11/24</u> को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p>	



19/11/24

पत्रावली पेज हुई। आधिवक्ता प्रार्थी
मय प्रार्थी (अनुपस्थित) आधिवक्ता प्रार्थी
मय प्रार्थी को निरन्तर आवाजे दिलवाई
गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं।
अतः आधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी अनुपस्थित
रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हावरी
अदम पेंसरी में खारिज किया जाता है। पूर्व
में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई
जाती है। पत्रावली फैसले शुमार होकर
नम्बर से कम हो।
निर्णय अरे इजलास लिखवाया जाकर भुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मजली

002

002